प्रेस विज्ञप्ति
23.01.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चेन्नई जोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल तमिलनाडु की मत्स्य पालन मंत्री अनीता आर. राधाकृष्णन और अन्य से संबंधित धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत थूथुकुडी, मदुरै और चेन्नई में स्थित **1.26 करोड़ रुपये** की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।

ईडी ने सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी), थूथुकुडी, तमिलनाडु द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर अनीता आर. राधाकृष्णन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) आर/डब्ल्यू 13 (1) (ई) के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इसके बाद, डीवीएसी ने माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और विशेष न्यायाधीश, थूथुकुडी की अदालत के समक्ष अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दायर किया, जिसमें 14.05.2001 से 31.03.2006 तक की चेक अवधि को ध्यान में रखते हुए 2.07 करोड़ रुपये (लगभग) की आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के लिए दायर किया गया था। जांच के दौरान, 2022 में, ED ने अस्थायी रूप से 1.00 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की 18 अचल संपत्तियों को कुर्क किया, जो मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल पाई गईं।

ईडी की जांच से पता चला कि अनीता आर. राधाकृष्णन और उनके परिवार के सदस्य अभी भी अपराध की आय (पीओसी) का उपभोग कर रहे हें और लाभ में हैं, यानी जांच अवधि के दौरान अर्जित की गई आय से अधिक संपत्ति और अनुसूचित अपराध के कमीशन द्वारा सीधे प्राप्त पीओसी से आगे के लाभ प्राप्त किए। इसके अलावा, पीओसी का एक हिस्सा विभिन्न फर्मों में निवेश किया गया पाया गया यानी वित्तीय प्रणाली में रखा गया और नकद जमा के रूप में स्तरीकरण करके और ऋण प्राप्त करके धनशोधन किया गया, जिसे आगे नकद में चुकाया गया ताकि उसे बेदाग दिखाया जा सके और अंत में उक्त फर्मों से भारी मुनाफा कमाकर और जांच अवधि के बाद की अवधि के दौरान अधिक अचल संपत्तियां हासिल करके एकीकृत किया गया। जांच के दौरान, यह पाया गया कि अनिता आर राधाकृष्णन और उनके परिवार के सदस्यों ने बाद के कुल पीओसी (अनीता आर राधाकृष्णन और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा जांच अवधि के बाद अर्जित) का 17.74 करोड़ रुपये (लगभग) उत्पन्न किया, जो अप्रत्यक्ष रूप से उन संपत्तियों से प्राप्त हुआ था जो पहले से ही कुर्क की गई थीं और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल पाई गई थीं।

इसके अलावा, उपर्युक्त अधिकांश अचल संपत्तियों को अनीता आर. राधाकृष्णन के परिवार के सदस्यों द्वारा सीधे उन संपत्तियों से उत्पन्न धन से अधिग्रहित किया गया था, जिन्हें 2022 में ईडी द्वारा पहले ही कुर्क कर लिया गया था, जो प्रथम दृष्टया स्थापित करता है कि उक्त संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए लेनदेन अनुसूचित अपराध के कमीशन द्वारा अनीता आर. राधाकृष्णन द्वारा उत्पन्न पीओसी से प्राप्त किए गए थे।

आगे की जांच जारी है।